राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—प.20(1) परि/लेखा/एफ.एस/2018—19/29107 दिनांक : 28-11-2019

कार्यालय आदेश संख्या : 29/2019

विषय :—महालेखाकार लेखापरीक्षा के दौरान अपेक्षित अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने, जमा कर की प्रविष्ठियां कर लेखों में करने के संबंध में।

संदर्भ :—महालेखाकार (आ.एवं रा.क्षे.ले.प.), राजस्थान जयपुर का अ.शा.पत्र क्रमांक आरएसए—IV/परि/प्रबंधन पत्र/2018—19/डी—809 दि. 31.10.2019

विषयान्तर्गत महालेखाकार के संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराये गये बिन्दुओं/सुझावों के क्रम में सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों के लिए निम्नलिखित दिशा—निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. लेखापरीक्षा के दौरान कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा के ज्ञापनों के उत्तर एवं अपेक्षित अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाते। लेखापरीक्षा दल को उनके ज्ञापनों के उत्तर एवं अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी भविष्य में लेखापरीक्षा दल को ज्ञापनों के उत्तर एवं समस्त अपेक्षित अभिलेख समय पर उपलब्ध करावें।
2. वाहनों का कर जमा होने के बावजूद टैक्स लेजर अद्यतन नहीं होने से अनावश्यक कर बकाया संबंधी आक्षेपों का सृजन होता है। इस संबंध में विभाग के पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 30 दिनांक 21.08.2015 द्वारा सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि जिन वाहनों का कर जमा हो चुका है उनकी प्रविष्ठि अविलम्ब कर खातों में किया जाना सुनिश्चित करें तथा वाहनों के कर खाते अद्यतन करना सुनिश्चित करें। किन्तु उक्त निर्देशों की प्रायः पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जमा कर की प्रविष्टियां कर खातों में किया जाना सुनिश्चित करे। निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा।
3. निरीक्षण प्रतिवेदनों में कई आक्षेप, जो कि मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, सरचार्ज, शास्ति आदि की अवसूली/कम वसूली से संबंधित होते हैं एवं पूर्व के वर्षों में भी लगातार विभाग के ध्यान में लाये जाते रहे हैं, की पुनरावृत्ति लगातार जारी है। इस क्रम में तीन माह की अवधि में कार्ययोजना बनाकर पूर्ण वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।

मोटर वाहन कर/शास्ति/सरचार्ज आदि की अवसूली/कम वसूली के ऑडिट आक्षेपों की पुनरावृत्ति को राज्यादेशों की जानबूझकर अवहेलना मानते हुए संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4(v) एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(राजेश यादव)
शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त